

क,

अनिल कुमार बाजपेयी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 2 अक्टूबर, 2018

विषय वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती
विकास योजनान्तर्गत जनपद-भदोही की 12 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-300/2018/564/69-1-18-68(म0ब0-83)/2018 दिनांक 31.03.2018 को निरस्त करते हुये आपके पत्र संख्या-5052/10/छः/विविध/2017-18, दिनांक 15 मार्च, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत" वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत जनपद-भदोही की न0पा0परि0, भदोही एवं न0पं0, घोसिया एवं खमरियां की विभिन्न मलिन बस्तियों में इन्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग 12 परियोजनाओं हेतु कुल रू0 125.17 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि रू0 62.585 लाख (रूपये बासठ लाख अठ्ठावन हजार पांच सौ मात्र) की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि का उपयोग प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-117/2017/1279/69-1-17-14(31)/2012टीसी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

क्रमशः.....2

व्यक्तिगत डाटा/अ.प्र.प.

FC/कृष्णा

5. स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व सूडा/डूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये परियोजना/आगणन का गठन वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ई-8-1210-दस/2008 दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप किया गया है।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि शासनादेश संख्या-300/2018/564/69-1-18-68(म0ब0-83)/2018 दिनांक 31.03.2018 द्वारा आवंटित धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं किया गया है।
7. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
9. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।
10. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
11. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सुचित किया जायेगा।
12. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
13. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, विशेष सचिव तथा संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
14. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

- इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
16. सेन्टेज चार्ज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
17. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जिसकी 31 मार्च, 2019 तक व्यय हो सके।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-05-मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या-ई-9-510/दस-2018, दिनांक 17 अक्टूबर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय
24/11/18
(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

संख्या-536/2018/564(1)/69-1-18, तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, भदोही।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
9. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
11. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
12. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,
(मनिराम सिंह)
संयुक्त सचिव।


ता संलग्नक।

(धनराशि लाख रु0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय/नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृति की जाने वाली धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1	भदोही	न0पं0, घोसिया	वार्ड नं0 04 में ईश्वर चन्द्र के मकान से जी0टी0 रोड तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	16.79	8.395
2	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 04 से हूबलाल के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	17.36	8.68
3	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 04 में रामनायक के घर से ईश्वर चन्द्र के घर तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	6.99	3.495
4	तदैव	न0पं0, खमरियां	मो0 झपटपुर वार्ड नं0 02 में बिन्द के घर से गरीब बिन्द के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	8.32	4.16
5	तदैव	तदैव	मो0 झपटपुर वार्ड नं0 02 में सजीवन भौर्य के मकान से गरीब बिन्द के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	17.99	8.995
6	तदैव	न0पा0पा0, भदोही	मो0 मामदेवपुर वार्ड नं0 01 में कत्तल सरोज से देव कुमार सरोज के मकान होते हुये शिवनाथ सरोज के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क नाली निर्माण कार्य।	3.15	1.575
7	तदैव	तदैव	मो0 मामदेवपुर वार्ड नं0 01 में भज्जन बाब(कुआं) के मकान के सामने से बेनी राम सरोज के मकान होते हुए नन्दलाल सरोज के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क नाली निर्माण कार्य।	8.20	4.10
8	तदैव	तदैव	मो0 पनवरिया वार्ड नं0 01 में कलाम अंसारी के मकान से हरगेन यादव के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क नाली निर्माण कार्य।	15.91	7.955
9	तदैव	तदैव	मो0 जलालपुर वार्ड नं0 10 में हीरालाल गौतम के मकान से उमाशंकर गौतम के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क नाली निर्माण कार्य।	8.72	4.36
10	तदैव	तदैव	मो0 कुशियरा वार्ड नं0 02 में करवा के मकान से स्व0 एल0पी0 कोचिंग सेन्टर तक मिट्टी भराई इण्टरलाकिंग सड़क नाली निर्माण कार्य।	9.09	4.545
11	तदैव	तदैव	मो0 मामदेवपुर वार्ड नं0 01 में काशीनाथ हरिजन के मकान से बलू सभासदके मकान तक क्षतिग्रस्त	4.42	2.21

			इण्टरलाकिंग सड़क नाली निर्माण कार्य।		
12	भदोही	न0पं0, खमरियां	मो0 झपटपुर वार्ड नं0 02 में बब्बू यादव के घर से संजीवन के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क नाली निर्माण कार्य।	8.23	4.115
योग				125.17	62.585

(रूपये बासठ लाख अठ्ठावन हजार पांच सौ मात्र)।


 (मनिराम सिंह)
 संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

295.015
 295.015